राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनुदान/2004-05/ 9 दिनांक 5 जून 2004

कुल सचिव,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा ।

विषय– सत्र 2004–05 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार नवीन महाविद्यालयों के लिए सत्र 2004–05 में प्रारम्न करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर 2004–05 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है –

क्र. सं.	स्पोन्सरिंग ट्रस्ट/ संस्था का नाम	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	संकाय/विषय
1.	आस्था शोध एवं विकास संस्था, बुन्दी	आस्था महाविद्यालय, इटावा (कोटा)	स्नातक स्तर– कला संकाय अनिवार्य विषय सहित– हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, चित्रकला, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर एप्लिकेशन ।

1. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
2. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वान्द्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
3. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
4. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
5. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
7. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
8. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
9. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
10. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
11. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
12. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।
13. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
14. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

भवदीय,

15/6

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (203/156) लेखा/आकाशि/अनु/2004/1901 दि0 30 मई, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 1557 दिनांक 5 मई, 2008 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 से पूर्व मे संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	156	आस्था महाविद्यालय	टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, तह0 पीपल्दा रोड, इटावा, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व में संचालित विधि संकाय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्वन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, कोटा ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
8. बार कौंसिल आफ इण्डिया, 21, राउज ऐवन्यू इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, नई दिल्ली ।
9. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय **(रजिस्टर्ड ए.डी.)**
10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली।
12. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (203 / 56) लेखा / आकाशि / अनु / 04 / 1624 दिनांक: 20.6.13

संशोधन आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1901 दिनांक 30.05.2008 के क्रम में आस्था महाविद्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, पीपल्दा रोड, इटावा, कोटा को सत्र 2008--09 से स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में 'पूर्व में संचालित विधि संकाय ' के स्थान पर पूर्व में संचालित विषय एवं संकाय ' पढ़ा जावे।

निदेशक
कालेज शिक्षा राज0,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, कोटा ।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (अनुदान)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (323) आकाशि/नि.स./2004/ 1172 दिनांकः– 30.6.2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी **सत्र 2017–18** से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है :–

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय/विषय
आस्था महाविद्यालय, पीपल्दा रोड़, इटावा, कोटा।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	स्नातक स्तर पर– विज्ञान संकाय– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धत्ता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशो की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भीउल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित बेवपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

कार्यालय आस्था महाविद्यालय
क्रमांक 487

संयुक्त–निदेशक (नि.सं.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)